ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT OF CONSTABLE/GENERAL DUTY (MALE/FEMALE) IN CRPF- 2010

1.	Applications are invited from the MALE / FEMALE Indian citizens ordinarily residents of the States of Madhya Pradesh and Chattisgarh to fill up the vacancies in the rank of Constable/GD (Male/Female) in Central Reserve Police Force.	
2.	**Pay Scale**	The post carries pay scale of Pay Band – 1 i.e. Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2000/-.
3.	**Other Allowances**	As admissible to Central Government Employees from time to time under the rules.
4.	**Place of duty**	Anywhere within as well as outside the Territory of India.
5.	(i) State / category wise vacancies released / notified are as under:-	

S. No.	Name of State	FOR MALE CANDIDATES													FOR FEMALE CANDIDATES								
		VACANCIES									Backlog vacancies				VACANCIES					Backlog vacancies			
		GENERAL	EX SERVICEMEN	OBC	EX SERVICEMEN	SC	EX SERVICEMEN	ST	EX SERVICEMEN	Total	OBC	SC	ST	Total	GENERAL	OBC	SC	ST	TOTAL	OBC	SC	ST	TOTAL
1.	Madhya Pradesh	249	28	75	08	75	08	100	11	**554**	45	68	-	**113**	04	01	01	01	**07**	01	07	-	**08**
2.	Chattisgarh	86	10	10	01	21	02	55	06	**191**	01	09	-	**10**	02	-	-	-	**02**	-	01	-	**03**

(ii) In addition to the above, following vacancies are also released / notified for filling up only from the Naxal Affected Districts:-

S. No.	Name of State	Notified naxal affected districts/ areas	FOR MALE CANDIDATES									FOR FEMALE CANDIDATES				
			VACANCIES									VACANCIES				
			Genl	EX SERVICEMEN	OBC	EX SERVICEMEN	SC	EX SERVICEMEN	ST	EX SERVICEMEN	Total	GENERAL	OBC	SC	ST	TOTAL
1.	Madhya Pradesh	Balaghat	19	02	06	01	06	01	08	01	**44**	01	-	-	-	**01**
2.	Chhatis-garh	Bastar, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kanker, Korea, Narayanpur, Rajnandgaon & Sarguja	102	11	13	01	24	03	66	07	**227**	02	-	-	01	**03**

	Note: - i) Vacancies as shown above may be changed due to administrative reasons, without assigning any reason. ii) If suitable Ex-servicemen do not turn up the vacancies reserved for them will be filled up from the remaining candidates of same category.
6.	New contributory pension scheme for Central Govt employees which has come into effect from 01/01/2004 will be applicable to all selected candidates.
7.	Ex-servicemen, being trained soldiers will require to appear for, only the written and medical fitness tests. Relaxation in prescribed physical standards and education shall be admissible as per Govt orders i.e. Relaxation in upper age limit to the extent of military service plus three years is applicable. However, break in army service and re-employment should not exceed 24 months. No PET is required for Ex-servicemen.
8.	Ward (s) of serving CRPF personnel may also apply, if so desired accordingly. They will be required to compete with common candidates. Wards of serving CRPF personnel may apply either from their Home State or from the State in which his/ her father/mother is posted/deployed at the time of recruitment.

9.	**Eligibility Conditions**		
a)	**Age**		Between 18 to 23 years as on 1st August 2010.
	Relaxation:-		
	Upper age limit is relaxable up to 5 years for SC/ST and 3 years for OBC category candidates. In addition,		
	i)	5 years relaxation in upper age to the residents of Jammu & Kashmir State will be provided in accordance with Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training) GOI Notification No. 15012/7/ 1991-ES (D) dated 07/12/2007	
	ii)	5 years age relaxation to the Children and dependent family members of those who killed in the riots of 1984 and in the communal riot of 2002 in Gujarat will be provided in accordance with Govt. of India, MHA OM No.I-45023/2/2007-Pers-II dated 12/04/2007, 29/06/07 & 21/09/07 and I-45023/2/2007-Pers.II dated 26/06/2007 & 21/09/2007	
b)	**Educational qualification**		Matriculation or 10th class passed from recognized board or university.
c)	**Physical Standards**		
	Height		Male - 170 Cms Female - 157 Cms
	Chest (only for male)		Unexpended - 80 Cms
			Expanded - 85 Cms (Minimum expansion 5 Cms is required)

	Relaxation:-	
	Relaxation in physical standard (height and chest) is permissible to the candidates falling in the categories of Garhwali, Kumaoni, Gorkha, Dogra, Maratha and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh & Ladakh region of J&K. Minimum height of Male/Female candidates in these categories/States will be 165/155 Cms respectively and chest for male candidate for above categories/State will be 78 Cms. Minimum height/chest of Male candidates belonging to Scheduled Tribe will be 162.5/76 Cms (with minimum expansion of 5 Cms). Minimum height of Female candidate belonging to Schedule Tribes will be 150 Cms.	
	Weight	Proportionate to height and age as per medical standard.
d)	**Medical Standards**	
	a) **EYE SIGHT**: - The minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing of glasses. b) **GENERAL**: - The candidates should not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with efficient performance of the duties	
10.	**Selection Process**	
	All eligible candidates whose application form is found to be in order will be issued admit card/call letter to appear in the recruitment process. The list of such eligible candidates will also be displayed at Application Receiving Centers. Candidates will have to undergo the following process of recruitment:-	
	a)	**Height Test**: Candidates will be made to pass under a bar which has been put at the minimum height required. Those who pass through under the bar will be rejected.
	b)	**Race** : For Male : 5 Kilometers to be completed in 24 Minutes For Female : 1.6 Kms to be completed in 8 Minutes 30 Seconds
	c)	**Identity check**: The identity of the candidates who qualify in column (a) & (b) above will be verified using such means as may felt necessary.
	d)	**Checking of Testimonials/documents**: Documents in support of educational qualification, domicile and other eligibility criteria, relaxations etc will be checked. A candidate will be rejected if he fails to produce any documents required in support of his eligibility criteria, relaxations etc. Further all certificates/documents should be in the format specified in appendices.
	e)	**Physical Standard Test**: The height, chest and weight of the candidates will be measured and those who do not meet the eligibility criteria will be rejected.

	f)	**Physical Efficiency Test**: It consists of Long Jump and High Jump. A candidate will be given 3 chances to qualify the minimum requirement i.e. **For Male** : Long Jump – 11 Feet & High Jump – 3 Feet 6 Inches **For Female** : Long Jump – 9 Feet & High Jump – 3 Feet **Note** – No physical efficiency test will be held for Ex- servicemen. However Ex-servicemen will be required to pass the requisite Written and medical examination.
	g)	**Written Examination** : 1) Written test will consist of only OMR based objective type multiple choice question to be answered using blue or black pen. Candidate will be required to be answered in OMR sheet and candidate is allowed to take carbon copy of answer sheet. The written test will be of 100 marks. There will be 100 objective type questions to be answered in 120 minutes. 2) The question paper will be set to assess the general awareness/general knowledge, knowledge of elementary mathematics, analytical aptitude and ability to observe and distinguish patterns and to test the basic knowledge of the candidate in English/Hindi. The question paper will be bilingual in Hindi and English.
	h)	**Medical Examination**: Candidate who find a place in the select list as per the available vacancy in each category will be called for medical examination. In examination candidates will be classified only as 'FIT' or 'UNFIT'
	i)	**Final Selection :** 1) Merit list of selected candidates will be made based on the marks secured by them in written examination. There will be a separate merit list for each category and as per the allotted vacancy to each state. Those who find place in the merit list will only be issued the offer of appointment. 2) The minimum cut-off percentage of marks for appointment will be :- General/Ex-servicemen : 35% SC/ST/OBC : 33%
11.	Willing candidates can apply on OMR application form, which can be purchased along with the detailed information booklet from the following Post Offices w.e.f. 26/07/2010 to 14/08/2010 against the payment of Rs. 40/- (Rupees Forty) only as postal handling charges:-	

S. No	Name of State	Name of post offices where the application forms are available.
1.	Madhya Pradesh	Balaghat, Betul, Bhind, Bhopal, CTT Nagar, BHEL SBB, Burhanpur, Chhatarpur, Chhindwara, Damoh, Datia, Dewas, Dhaar, Dindori, Guna, Harda, Khargoun, Hosangabad, Indore, Indore Nagar, Jabalpur, Jhabua, Katni, Khandwa, Lashkar, Mandla, Mandsaur, Morar Morena, Narsinghpur Neemuch, Panna, Raigarh, Raisen, Rajgarh, Ratlam, Rewa, Sagar, Satna, Sehore, Seoni, Shahdol, Shajpur, Sheopur, Shivpuri, Sidhi, Tikamgarh, Ujjain, Umaria & Vidisha
2.	Chhatisgarh	Ambikapur, Baikunthpur, Bijapur, Bilaspur, Dantewara, Dhamtari, Durg, Jagdalpur, Janjgir, Jashpur Nagar, Kanker, Kawardha, Korba, Mahasamund, Mungeli, Naraianpur, Raigarh, Raipur, & Rajnandgaon

In addition, General/OBC category candidates are also required to deposit Rs. 50/- (Rupees Fifty) only as application fee through **e-payment** at the nearest post office where **e-payment** facilities are available and mention e-payment receipt number in prescribed column of OMR Application Form failing which application will be rejected. In addition to the application fee, **E-payment** charges as applicable will have to be paid to the Postal Department by OBC & General category candidates. Candidates belonging to SC, ST and Ex-Servicemen are exempted from payment of application fee. Each such OMR application form can be used only once. In case of any difficulty in obtaining OMR application form from the Post offices, the candidates should immediately contact the concerned post master. Application duly completed in all respect be sent to the address of Application Receiving Centre identified for their respective State, in the prescribed envelop so as to reach there on or before close of the working hours of **25/08/2010 repeat 25/08/2010** either by hand or speed/registered post. The application received after the last/due date and incomplete application in any respect will not be entertained and shall be summarily rejected:-

S.No	Name of State	Application Receiving Centre
1.	Madhya Pradesh	DIGP, Group Centre, CRPF, Village & Post Bangarasia, Taluk- Huzoor, Distt-Bhopal (MP)-462045
2.	Chhatisgarh	DIGP, Group Centre, CRPF, Bharani, Post-Ganiyari, Distt-Bilaspur (C.G.)-495001

12. No documents / testimonials / caste certificates etc are to be sent with the

	application form. However, when the candidate report at the venue on the date and time for recruitment process, **he/she should bring the following documents in original alongwith one attested photocopy of the same** :- **a)** Educational Certificate **b)** Date of Birth Certificate (Matriculation or 10th Pass certificate) **c)** Domicile certificate (Not required in case of SC/ST/OBC candidates whose certificates clearly indicate their State of domicile). **d)** SC/ST or OBC certificate signed only by the competent authorities as per the proforma given in Appendix '**A**' or '**B**' as applicable. **e)** Certificate for relaxation in height and chest measurements as mentioned in para 9 (c) above as per Appendix **'C'**. **f)** Candidates serving in Central Govt./State Govt./Public Sector Units should apply through proper channel. They should submit a certificate as per Appendix '**D**' They should produce a "No objectin Certificate" from their employer at the time of checking of testimonials/documentation failing which their candidature will be rejected. This is applicable to serving CRPF personnel also. **g)** Candidates should also produce the relevant certificate in support of any relaxation they seek in terms of age etc as mentioned in para-9 (a) (i) & (ii). **h)** Discharge Certificate, in case of Ex-Servicemen.
13.	Candidates belonging to the States of Madhya Pradesh and Chhatisgarh will only be considered for recruitment in their respective State on production of valid "Domicile Certificate" issued by the competent authority so authorized by the concerned State to prove their domiciliary status.
14.	A website with following helpline numbers and SMS based query has been opened for assistance of the candidates:- a) Interactive Website : www.crpf.gov.in – recruitment – Ct/GD 2010. or www.crpfrecruitment.org b) Telephone No. : 0120 3800900 c) SMS No. : CRPF56767 Besides, the candidates can also approach the offices or Application Receiving Centres at the following landline, mobile & e-mail addresses for guidance:-

STATE	**SECTOR/A.R.C.**	**LANDLINE**	**MOBILE**	**E-MAIL**
Madhya Pradesh	Spl Sector/GC, CRPF Bhopal	07480-262244	9479587388	adiggcbpl@crpf.gov.in
Chhatisgarh	Spl Sector/GC, CRPF, Bilaspur	07752-210432	7697799648	gcogcbls@crpf.gov.in

15.	**GENERAL INSTRUCTIONS**	
i)		On appointment, the candidates shall be governed by the CRPF Act, 1949 and CRPF Rules, 1955 as well as all such Govt instructions/rules as applicable.
ii)		Govt shall not be responsible for damage/injury or loss to the individual, if any, sustained during the Physical Efficiency Test/Journey.
iii)		The candidates shall have to bring with them writing material (blue / black ball point pen and clip board etc) for Written Test.
iv)		Candidates should come duly prepared to stay at their own arrangements for the purpose of recruitment.
v)		Candidates will have to appear for selection test at their own expenses and risk and no TA/DA will be admissible.
vi)		All eligible candidates will be duly informed about the date and venue of the recruitment through speed/registered post.
vii)		The candidate finally selected for appointment shall be subjected to chest x-ray, pathological and other required test.
viii)		The candidates on appointment will have to undergo prescribed basic training at Training Institutions of CRPF.
ix)		After selection/appointment, if any candidate is found ineligible or guilty of suppressing facts on any score, his/her services will be terminated without assigning any reason thereof.
x)		Canvassing in any form or adoption of unfair means or bringing outside influence will disqualify the candidate from appearing for the test.
xi)		The result of Written Test will be posted on CRPF website as well as displayed on notice boards of recruitment centres.
xii)		Ex CRPF personnel will be treated as fresh entrants and they will not be allowed any relaxation applicable to Ex-servicemen.

Sd./13/07/10
(**RADHA MOHAN MEENA**)
DIGP (ADM) SPL. SECTOR

APPENDIX – 'A'

FORM CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY A CANDIDATE BELONGING TO SCHEDULED CASTE OR SCHEDULED TRIBES

This is to certify that Shri/Smt/Kumari .... ……………………….. Son/daughter of Shri………..………of village/ town... ……………… in District/Division………………of State/Union Territory ......…………… belongs to the.................................... Caste/Tribe which is recognized as Schedule Casts/Schedule Tribe under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950
The constitution (Scheduled Tribes) order, 1950
The Constitutions (Scheduled Castes) (Union Territory) order, 1951
The constitution (Scheduled Tribes) (Union Territory) order, 1951
(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Modification) order 1956, in Bombay, Reorganization Act, 1960, the Punjab
Re-organization Act, 1966. The State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganization At, 1971) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.)
The constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order 1956;
The constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes, 1959,
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment) Act, 1976;
The constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962
The constitution (Dadra and Nagar Haveli8) Schedued Tribes order 1962
The constitution (Pondinchery) Scheduled Castes Order 1964;
The constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order 1967;
The constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Castes order 1968;
The constitution (Goa, Daman & Dieu) Scheduled Tribes order 1968
The constitution (Nagaland) Scheduled Tribe order 1970;
The constitution (Sikkim) Scheduled Cates order 1978:
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order 1978:
The Constitution (SC) order (Amendment) Act, 1990;
The constitution (ST) order (Amendment) ordinance 1991;
The constitution (ST) order, (Second Amendment) Act, 1991
The constitution (ST) Ordinance, 1996

02. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Smt/Kumari .... son/daughter of Shri.. of village/town ....in District/Division.................................. of State/UT................................. belongs to the .... Caste/ tribe which is recognized as a SC/ ST in the State/Union Territory issued by the ....(name of the prescribed issuing authority) dated...........

03.

Shri/Smt/Kumari...and or his/her family ordinarily reside(s) in village/town......................................in District /Division................................of State/Union Territory of ....

Place..................

Date................... Signature........................

Designation.....................
(With seal of Office)

Note: - The terms ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950

LIST OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE/TRIBE CERTIFICATE:

1) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Dy. Collector / 1st Class stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Extra Assistant Commissioner / Taluka Magistrate / Executive Magistrate.
2) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

APPENDIX – 'B'

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVT. OF INDIA

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ……………………......................son/ daughter of Shri ………………….............of village/Town.……...............……………………. in District/Division.. of the State/Union Territory ....……………..... belongs to the………………..................… community, which is recognized as a backward class as under :-

i) Resolution No. 12011/63/93-BCC© dated 10th September, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, No. 186 dated 13th September, 1993.
ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October, 1994, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, Section 1, No. 163 dated 20th October 1994.
iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India Extraordinary – Part 1, Section 1, No. 88 dated 25th May, 1995.
iv) Resolution No. 12011/44/96-BCC dated th 6th December, 1996, published in the Gazette of India Extraordinary-Part I, Section 1, No. 210, dated 11th December, 1996.

02. This certificate is issued on the basis of the Backword class certificate issued to Shri/ Smt..……….....………….............Father/Mother of Shri/Smt/Kumari. .... of Village/Town...in District/Divison...of the State/UT................................ who belongs to.. Caste which is recoganised as other (Name of the prescribed issuing authority) vide their No....................... Dated............... Shri/Smt /Kumari...and or his/her family ordinarily reside (s) in Village/Town..of...................................District/Divison of the State/UT of ....

03. This is also certify that he/She does not belong to the persons/sections (creamy layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Govt. of India. Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8/9/1993.

Place…………..
Date…………..

Signature……………….....
Designation…………….....
(With seal of office)

LIST OF AUTHORITIES EMPOWERED TO ISSUE CASTE/TRIBE CERTIFICATE:

1) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Dy. Collector/1st Class stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Extra Assistant Commissioner /Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

<u>APPENDIX – 'C'</u>

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATES THOSE WHO INTEND TO AVAIL RELAXATION IN HEIGHT OR CHEST MEASUREMENT

Certified that Shri/Smt/Kumari... ....…………………………..... Son/daughter of Shri………….............……......................whose photo is affixed and attested below is a permanent resident of village .... …………….…...... Tehsil/Taluka ....………......……… District ……….........of State of ....

2. **It is further certified that Shri/Smt/Kumari..** Son/daughter of Shri ……………................……….....belongs to (Garwali / Kumaouni / Dogra / Maratha / Himachali / Ladkhaki / Kashmiri / Sikkimies) (Name of the Community.......……………………) and entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

<u>OR</u>

It is further certified that Shri/Smt/Kumari..........................……………… Son/Daughter of Shri..........................…………………… belongs to and aborigine of (North Eastern States) ……………................ (Name of the State) and entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

<u>OR</u>

It is further certified that Shri/Smt/Kumari ....……..... Son/daughter of Shri...belongs to and aborigine of (North Estern States)...........…………(Name of the Tribe)……….......Tribals/Adivasis Community and is entitled for relaxation in height and chest for recruitment in Central Para Military Forces.

Round seal

Dated:

Place:

SD/-
Signature
District Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Tehsildar

APPENDIX – 'D'

NO OBJECTION CERTIFICATE

i) Certified that Shri/Smt/Kumari.. S/O/D/O ....holds a permanent/temporary post of .... Under Central/State Govt.

ii) Certified also that Shri/Smt/Kumari.............................. ....has submitted his/her application this Department/Office on .... and will be released in case of his/her selection for the post of Ct/GD in CRPF.

Place.................................... **Signature of Head of Office/Department**
Date...................................... **with office seal**

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वर्ष 2010 के लिए सिपाही/सामान्य ड्यूटी (पुरूष/महिला) की भर्ती हेतु विज्ञापन

1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही/सामान्य ड्यूटी के पद की रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों विशेषकर मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्यों के पुरूष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं ।
2. वेतनमान – वेतन बैण्ड –1 रू0 5200–20200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–
3. अन्य भत्ते – केन्द्रीय कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय अन्य भत्ते ।
4. तैनाती स्थान – भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।
5. (क) राज्य/श्रेणीवार जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र सं	राज्य का नाम	पुरूष उम्मीदवारों के लिए													महिला उम्मीदवारों के लिए								
		रिक्तियां									पिछली रिक्तियां				रिक्तियां					पिछली रिक्तियां			
		सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पि0 वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जन जाति	भू0पू0 सैनिक	योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	मध्य प्रदेश	249	28	75	08	75	08	100	11	**554**	45	68	-	**113**	04	01	01	01	**07**	01	07	-	**08**
2.	छत्तीस–गढ़	86	10	10	01	21	02	55	06	**191**	01	09	-	**10**	02	-	-	-	**02**	-	01	-	**03**

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त केवल नक्सल प्रभावित जिलों के लिए जारी/अधिसूचित रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र सं	राज्य का नाम	नक्सल प्रभावित अधिसूचित जिलें/क्षेत्र	पुरूष उम्मीदवारों के लिए									महिला उम्मीदवारों के लिए				
			रिक्तियां									रिक्तियां				
			सामान्य	भू0पू0 सैनिक	अन्य पि0 वर्ग	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति	भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जन जाति	भू0पू0 सैनिक	योग	सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	योग
1.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	19	02	06	01	06	01	08	01	**44**	01	-	-	-	**01**
2.	छत्तीस–गढ़	बस्तर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनन्दगॉव एवं सरगुजा	102	11	13	01	24	03	66	07	**227**	02	-	-	01	**03**

टिप्पणी :–

1) उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियां प्रशासनिक कारणों से बिना सूचित किए परिवर्तित हो सकती हैं।

2) यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक नहीं आते हैं तो उनके लिए आरक्षितों वर्गों की रिक्तियों को उसी वर्ग के शेष उम्मीदवारों से भरी जाएंगी ।

6. सभी चयनित उम्मीदवारों पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह दिनांक 01/04/2004 से प्रभावी नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

7. भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सैनिक होंने के कारण उनकी केवल लिखित तथा मेडिकल फिटनेस परीक्षण लिया जाएगा । सरकारी निर्देशों के अनुसार निर्धारित शारीरिक स्तर तथा शिक्षा में पूर्ण छूट होगी । उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होंनी चाहिए । हॉलाकि सैनिक सेवा एवं पुनः नौकरी के व्यवधान की अवधि 24 माह से अधिक नहीं होंनी चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

8. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत कार्मिकों के आश्रित इच्छुक होंने पर तद्नुसार आवेदन कर सकते हैं । उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की समान ही भर्ती प्रकि्या में भाग लेना होगा । सेवारत कार्मिकों के आश्रित या तो अपने गृह राज्य या भर्ती के समय जिस राज्य में उनके पिता/माता की तैनाती होगी, उस राज्य में भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेज सकते हैं ।

9. **पात्रता की शर्तें** :–

क) **आयु** :– दिनांक 01/08/2010 को 18 से 23 वर्ष होंनी चाहिए ।

छूट :– ‰परी आयु सीमा में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष होगी । इसके अतिरिक्त :

1) कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के दिनांक 07/12/2007 की अधिसूचना संख्या 15012/7/1991–ईएस (डी) में निहिंत प्रावधानों के अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिए ‰परी आयु में 5 वर्ष तक की छूट होगी ।

2) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या आई–45023/2/2007–कार्मिक–दो दि0 12/04/2007, 26/06/07, 29/06/07 एवं 21/09/07 में निहिंत प्रावधानों के अनुसार 1984 के सिक्ख दंगों तथा 2002 में गुजरात राज्य में हुए साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों के लिए ‰परी आयु में 5 वर्ष की छूट होंगी ।

ख) **शैक्षिक योग्यता** :–मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा 10वीं पास

ग) **शारीरिक मापदंड** :–

‰चाई:–	पुरूष –	170 सेमी
	महिला –	157 सेमी
सीना (पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए	–80 से0मी0
	फुलाकर	–85 से0मी0

(कम से कम 5 से0मी0 का फुलाव होना चाहिए)

छूट :– गढ़वाली, कुमायुॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों तथा सिक्किम, नागालैण्ड, अरूणाचॅल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमॉचल प्रदेश, काश्मीर एवं जम्मू काश्मीर राज्य के लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड (‰ँचाई / सीना) में छूट होगी । उक्त श्रेणी के पुरूष / महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम ‰ँचाई 165 / 155 सेमी होगी तथा पुरूष उम्मीदवारों के लिए सीने की बिना फुलाए न्यूनतम चौड़ाई 78 सेमी होगी । सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरूषों के लिए न्यूनतम ‰ँचाई / सीना 162.5 / 76 सेमी होगी (कम से कम 5 सेमी का फुलाव होना चाहिए) सभी अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारो की कम से कम ‰ँचाई 150 सेमी होंनी चाहिए ।

वजनः– चिकित्सा स्तर के अनुसार ‰ँचाई एवं आयु के अनुपात में।

घ) **नेत्र दृष्टि** :–1) चश्में के बिना दोनो ऑखों की न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6 / 6 तथा 6 / 9 होंनी चाहिए ।

2) उम्मीदवार के घुटने मिले हुए, सपाट तलवे, वेरीकोस नसें अथवा ऑखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए तथा उनमें उच्च रंग वर्णांधता होनी चाहिए । उनका मानसिक व शारीरिक स्वास्थय अच्छा होंना चाहिए तथा वे किसी भी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होंने चाहिए जिससे उनके कार्य निष्पादन की दक्षता पर किसी प्रकार की बाधा होंने की संभावना हो ।

10. **चयन प्रकिया**:–

आवेदनों की जॉच के उपरान्त सभी योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा । आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रों में योग्य उम्मीदवारों की सूची लगाई जाएगी । उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षाओं से गुजरना होगा :–

क) **‰ँचाई परीक्षा**:– उम्मीदवारों को एक बार के नीचे से गुजरना होगा जिसे आवश्यक न्यूनतम ‰ँचाई पर रखा जाएगा । जो उम्मीदवार बार के नीचे से गुजरेगा उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा ।

ख) **दौड़** :– पुरूष के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर पूर्ण करना है ।
महिला के लिए 08 मि0 30 सेकेन्ड में 1.6 किलोमीटर पूर्ण करना।

ग) **पहचान जॉच**:– जो उम्मीदवार उपरोक्त क एवं ख में योग्य पाए जाएंगे उनकी पहचान ऐसे साधनों का प्रयोग करके सत्यापित की जाएगी जिनकी आवश्यकता समझी जाएगी ।

घ) **प्रपत्र / दस्तावेजों की जॉच** :– शैक्षणिक योग्यता के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों, निवास स्थान तथा अन्य पात्रता मानदंडों में छूट इत्यादि की जॉच की जाएगी । यदि कोई उम्मीदवार अपनी पात्रता कसौटी छूट इत्यादि के समर्थन में आवश्यक

दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज परिशिष्टों में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में होंने चाहिए।

ड़) **शारीरिक मानदंड परीक्षा** :–उम्मीदवार की ‰¡चाई, सीना तथा वजन की मापतौल की जाएगी तथा जो पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते है उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

च) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :–इसमें लंबी कूद तथा ‰¡ची कूद शामिल है। एक उम्मीदवार को न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे अर्थात :–

लंबी कूद	‰¡ची कूद
पुरूष हेतु : 11 फीट	पुरूष हेतु : 3 फीट 6 इंच
महिला हेतु : 09 फीट	महिला हेतु : 3 फीट

छ) **लिखित परीक्षा** :– 1.लिखित परीक्षा केवल ओ0एम0आर0 आधारित वस्तुनिष्ट प्रकार बहुविधि विकल्प प्रश्न की होगी जिनका उत्तर नीले या काले पेन का प्रयोग करके देना होगा । उम्मीदवार को आ0एम0आर0 शीट में उत्तर देना होगा तथा उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी लेने की अनुमति होगी । लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी । इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 120 मिनट में देना होगा ।

2. प्रश्न पत्र सामान्य जागरूकता/सामान्य ज्ञान, प्रारम्भिक गणित का ज्ञान, विश्लेषणात्मक अभिरूचि तथा आकृतियों के अनुवीक्षण तथा उनमे भेद दिखलाने की योग्यता का मूल्याकंन करने के लिए और उम्मीदवार के अंग्रेजी/हिंदी में प्राथमिक ज्ञान को परखने के लिए तैयार किए जाएंगे । प्रश्न पत्र द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) होगा ।

ज) **चिकित्सा परीक्षा** :– जो उम्मीदवार राज्य के प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार चयन सूची में स्थान पाते हैं उन्हें चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों का वर्गीकरण केवल 'योग्य' अथवा 'अयोग्य' के रूप में किया जाएगा ।

झ) **अंतिम चयन** :– 1. चयनित उम्मीदवारों की योग्यता सूची उनके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंको के आधार पर तैयार की जाएगी । प्रत्येक राज्य को आवंटित रिक्ति के अनुसार तथा प्रत्येक श्रेणी हेतु पृथक योग्यता सूची होगी । जो योग्यता सूची में स्थान पाएंगे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा ।

2. नियुक्ति हेतु अंको का न्यूनतम व्यवच्छेदन (cutt-off) प्रतिशत निम्नलिखित होगा :–

सामान्य/भूतपूर्व सैनिक : 35 प्रतिशत
अनु0 जाति/अनु0 जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग :33 प्रतिशत

11. इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित डाकघरों से दिनांक 26/07/2010 से 14/08/2010 के मध्य रू0 40/– (रूपये चालीस) मात्र पोस्टल हैण्डलिंग प्रभार के रूप में भुगतान कर आर0एम0आर0 आवेदन पत्र विस्तृत सूचनार्थ बुकलेट के साथ प्राप्त कर सकते हैं ।

क्रम सं0	राज्य का नाम	डाकघर का नाम जहॉ आवेदन पत्र उपलब्ध है
01.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, सीटीटी नगर, बीएचईएल एसबीबी, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिन्डौरी, गुना, हरदा, खरखौन, होसंगाबाद, इन्दौर, इन्दौर नगर, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खण्डवा, लश्कर, मंडला, मंदसौर, मोरार, मुरैना, नरसिंहगढ़, नीमच, पन्ना, रायगढ़, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, सियोनी, शहडोल, शाजपुर, शियोपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया एंव विदिशा ।
02.	छत्तीसगढ़	अंबिकापुर, बैकुंठपुर, बीजापुर, बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जॉजगीर, जशपुर नगर, कांकेर , कोवर्धा, कोरबा, महासमुन्द, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़ , रायपुर एवं राजनन्दगॉव

इसके अतिरिक्त सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नजदीकी पोस्ट आफिस जहॉ **ई–भुगतान** की सुविधा है, में **ई–भुगतान** के द्वारा आवेदन प्रभार के रूप में रू0 50/– (रूपये पचास) मात्र जमा कराएं और ओ.एम.आर. आवेदन फार्म में **ई–भुगतान** की रिसीप्ट नंबर दर्शाएं अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त आवेंदन प्रभार के अतिरिक्त सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को डाक विभाग को **ई–प्रभार** जैसा लागू हो का भी भुगतान करना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से मुक्त रखा गया है । प्रत्येक ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है । यदि डाकघरों से ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है, तो उम्मीदवार को तत्काल संबधित पोस्टमास्टर से संपर्क करना चाहिए । आवेदन पत्रों को पूर्ण रूप से भरकर अपने राज्य के निर्धारित आवेदन प्राप्त केन्द्रों के पते पर निर्धारित लिफाफें में हाथों–हाथ अथवा स्पीड/पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से दिनांक **25/08/10 पुनः 25/08/10** तक कार्यालय समय के बंद होंने के पूर्व पहुंच जाना चाहिए । अंतिम तिथि के उपरांत तथा अपूर्ण प्राप्त होंने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा तथा पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा ।

क्रम सं0	राज्य का नाम	आवेदन प्राप्ति केन्द्र
01.	मध्य प्रदेश	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्राम एवं पोस्ट–बंगरसिया, तालुक–हुजूर, जिला–भोपाल (म0प्र0) पिनकोड – 462045
02.	छत्तीसगढ़	पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्राम–भरनी, पोस्ट–गनियारी, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) पिनकोड–495001

12. आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र/जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजने की आवश्यकता नहीं है । हॉलाकि, जब उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए भर्ती स्थल पर नियति तिथि एवं समय पर उपस्थित होगा **उसे अपने साथ मूल रूप से निम्न दस्तावेज एवं उनकी एक–एक सत्यापित छाया प्रतिलिपि लानी होगी** :–

क) शैक्षणिक प्रमाण पत्र

ख) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक्युलेशन या 10 वीं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र)

ग) अधिवास प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मामलों में आवश्यकता नहीं हैं जिनके प्रमाण पत्रों में उनके अधिवास राज्य का स्पष्टतया उल्लेख होता है) ।

घ) परिशिष्ट **'क'** एवं **'ख'** में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति का प्रमाण पत्र ।

ड़) पैरा – 9 (ग) में वर्णित श्रेणियों के उम्मीदवार ‰चाई एवं सीने की माप में छूट प्राप्त करने के लिए निर्धारित परिशिष्ट **'ग'** प्रस्तुत करेंगे ।

च) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक सेक्टर यूनिटों में सेवारत उम्मीदवारों को निर्धारित प्रणाली से आवेदन करना होगा । उन्हें परिशिष्ट–**'घ'** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें दस्तावेजों की जॉच के समय उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी । यह प्रावधान सेवारत केरिपुबल कार्मिकों के लिए लागू है ।

छ) पैरा 9 (क) (1) एवं (2) में उल्लेखित किसी भी छूट को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को संबन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

ज) भूतपूर्व सैनिको के मामले में डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।

13. मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से संबन्ध रखने वाले उम्मीदवारो को उन्हीं के राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये वैध अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निवास के आधार पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा ।

14. उम्मीदवारों की सहायता के लिए एस.एम.एस. आधारित पूछताछ तथा निम्नलिखित हेल्पलाईन नम्बर सहित खोली गई है ।

क)संपर्क वेबसाईट :–www.crpf.gov.in - भर्ती –सि0/जीडी–2010

अथवा

www.crpfrecruitment.org

ख) दूरभाष नंबर :– 0120 3800900

ग) एस.एम.एस. नं0 :–सीआरपीएफ56767

इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार सेक्टर/आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रों के निम्नलिखित लैण्डलाईन, मोबाईल और ई–मेल पतों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं :–

राज्य	सेक्टर/आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्र	लैण्ड लाईन	मोबाईल	ई–मेल

मध्य प्रदेश	स्पेशल सेक्टर/ ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, भोपाल	07480–262244	9479587388	adiggcbpl@crpf.gov.in
छत्तीसगढ़	स्पेशल सेक्टर/ ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल, बिलासपुर	07552–210432	7697799648	gcogcbls@crpf.gov.in

15. **<u>सामान्य निर्देश</u>** :–

1) केरिपुबल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम –1949 एवं नियमावली–1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत शासित होंगे ।
2) शारीरिक दक्षता परीक्षण/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल अथवा नुकसान हो जाने पर सरकार जिम्मेदार नहीं होगी ।
3) उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु लेखन सामग्री (नीला/काला बाल प्वाईंट पेन तथा क्लिप बोर्ड इत्यादि) स्वयं लानी होगी ।
4) उम्मीदवारों को भर्ती के लिए ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी
5) उम्मीदवार अपने स्वयं के खर्चे एवं जोखिम पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और इसके लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा ।
6) सभी योग्य उम्मीदवारों को स्पीड/पंजीकृत डाक द्वारा भर्ती स्थान एवं तिथि से अवगत कराया जाएगा ।
7) सीने के एक्सरे, पैथोलॉजिकल तथा अन्य टेस्ट होंने की शर्त पर ही उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए चयन होगा ।
8) उम्मीदवारों को भर्ती होंने पर केरिपुबल के प्रशिक्षण संस्थानों में निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
9) चयनित/नियुक्ति होंने के उपरान्त यदि कोई उम्मीदवार अयोग्य या तथ्यों को छुपाने का दोषी पाया जाता है तो बिना कारण बताएं उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी ।
10) भर्ती के लिए कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।
11) लिखित परीक्षा का परिणाम केरिपुबल की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा साथ ही भर्ती केन्द्रों के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
12) भू0पू0 केरिपुबल के कार्मिकों कों नये प्रवेशक के रूप में माना जाएगा तथा उन्हें भू0पू0 सैनिक के समान कोई छूट नहीं दी जाएगी ।

हस्ता0 13/07/10
(राधा मोहन मीना)
<u>पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा0)</u>

परिशिष्ट–'क'

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................पुत्र/पुत्री श्री.............................. ग्राम/नगर ....जिला/राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी...जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

'संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950

'संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950

'संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

'संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

'संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश,1956

' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1959

' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1964

' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

' संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1990

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन), अधिनियम 1991

’ संविधान (अनुसूचित जनजाति) अध्यादेश, 1996

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पुत्री श्री....................................... ग्राम/नगर.................................. जिला/मंडल..राज्य/संघ राज्य क्षेत्र...को जो.. जाति/जन जाति से संबंधित हैं जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ....में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं को...(जारी करने वाले निर्धारित प्राधिकृत अधिकारी का नाम) द्वारा उनके दिनांक.................................... संख्या.. के अधीन जारी अनुसूचित जाति/अनसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

03. श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... तथा/अथवा उसका परिवार जो साधारणतया ग्राम/नगर..जिला/मंडल............................... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं ।

स्थान.. हस्ताक्षर.......................................

दिनांक.. पदनाम...

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधि ानियम 1950 की धारा 20 में निहिंत है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।

2) मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य महाप्रांत मजिस्ट्रेट/महाप्रांत मजिस्ट्रेट

3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।

4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

परिशिष्ट–'ख'

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.................................... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती..ग्राम/नगर..................................जिला/प्रभाग.............................. में राज्य/संघ शासित क्षेत्र.. के.. जाति से संबन्धित हैं जिसके निम्नलिखित के अधीन पिछड़े वर्ग रूप में पहचान हैं :–

1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93–बी सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.

2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94–बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.

3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.

4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96–बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

02. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/माता/श्री/श्रीमती/कुमारी.. ग्राम/नगर...................................... जिला/खंड......................................राज्य संघ शासित क्षेत्र .... जो .... जाति से संबधित हैं की पहचान राज्य/संघ शासित क्षेत्र ....(जारी करने वाले प्राधिकृत अतिधकारी का नाम) द्वारा उनके संख्या.............................. दिनांक............................ को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई जिसके आधार पर यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है ।

श्री/श्रीमती/कुमारी..............................और/अथवा उनका परिवार साधारण रूप से नगर क्षेत्र................................ जो .... जिला............................ खंड.. राज्य/संघ शासित क्षेत्र में है, निवास करते हैं ।

03. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/22/93 सी0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसूची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान... हस्ताक्षर......................................

दिनांक....................................... पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

परिशिष्ट–'ग'

ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..पुत्र श्री...जिनका सत्यापित फोटो नीचे लगा है, ग्राम.....................................तहसील/तालुका...
जिला.......................................राज्य ....का स्थाई निवासी है।

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री...(गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी) समुदाय के (समुदाय का नाम) समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री...(पूर्वोत्तर राज्यों) के (राज्य का नाम) राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री...(जनजाति का नाम) जन जाति/आदिवासी समुदाय से सम्बन्धित है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

स्थान..................................   जिलाधिकारी/उप मंडलाधिकारी
दिनांक................................   /तहसीलदार के हस्ताक्षर मुहर सहित

परिशिष्ट–'घ'

अनापत्ति प्रमाण पत्र

01. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री.. केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन .... पद पर स्थाई/अस्थाई रूप से कार्यरत हैं ।

02. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... ने इस विभाग/कार्यालय में दिनांक..................................... को आवेदन पत्र दिया है तथा उसे के0रि0पु0बल में सिपाही/जीडी के पद पर चयन हो जाने की स्थिति में मुक्त कर दिया जाएगा ।

स्थान......................
दिनांक..................

कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर सहित)